

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 337] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 1975/भाद्र 11, 1897

No. 337] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 1975/BHADRA 11, 1897

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 29th August 1975*

**S.O. 461(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirteenth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(a) Under the heading "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)", under the sub-heading "DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHIKI VIBHAG)", for entry 5, the following entry shall be substituted, namely:—

"5. Computer Centre.;"

(b) under the heading "DEPARTMENT OF ELECTRONICS (ELECTRONICS VIBHAG)", after entry 2, the following entries shall be inserted, namely:—

"3. Co-ordination of requirements relating to electronic processing equipment (computers)."

(1983)

4. All matters concerning computer based information, technology and processing including hardware and software, standardization of procedures and matters relevant to international bodies such as IFIP, IBI, ICC.”

F. A. AHMED,  
PRESIDENT.

[No. F.74/2/1/75-CF]  
R. M. AGRAWAL. Jt. Secy.

संत्रिमंडल सचिवालय  
(संत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1975

क्र० आ० 461(अ०).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ तेरहवां संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “योजना मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, “सांख्यिकी विभाग” उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“5. संगणक केन्द्र।”

(ख) “इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

“3. इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रमण उपस्कर (संगणक) से सम्बन्धित आवश्यकताओं का समन्वय।

4. संगणक आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी और प्रक्रमण सम्बन्धी सभी मामले, जिनके अन्तर्गत यंत्र-सम्बन्धी सामग्री (हार्डवेयर) और यंत्रेतर सामग्री (साफ्टवेयर) आती है, प्रक्रियाओं का मानकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों, जैसे आई० एफ० आई० पी०, आई० बी० आई०, आई० सी० सी० से सुसंगत मामले।”

फखरुद्दीन अली अहमद,  
राष्ट्रपति।

[सं० 74/2/1/75-सी० एफ०]

आर० एम० अग्रवाल,

संयुक्त सचिव।